

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
दांडिक अपीलीय अधिकारिता

दांडिक अपील सं. 1157/2019

(एस.एल.पी. (दांडिक) सं. 2663/2017 से उत्पन्न)

अनिल खड़कीवालाअपीलार्थी(गण)

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) एवं अन्यप्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

नवीन सिन्हा, न्यायमूर्ति

प्रत्यर्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल की गई शिकायत वाद सं. 3403/1/2015 में जारी सम्मन को अमान्य ठहराने हेतु दिए गए आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार करते हुए रद्द किया गया था कि, क्योंकि इसी राहत हेतु पूर्व आपराधिक विविध वाद सं. 877/2005 पहले से ही खारिज कर दिया गया है, दूसरा आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

2. प्रतिवादी सं. 2 ने अपीलकर्ता के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 142 सहपठित धारा 138 के अंतर्गत शिकायत दर्ज की जो प्रश्नगत कंपनी मेसर्स ई.टी.आई. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक थे। यह आरोप लगाया गया कि आरोपी

व्यक्ति ने दिनांक 15.02.2001 और 28.02.2001 के चेक जारी किए थे, जो कि चेक उत्तर-दिनांकित थे | अपीलकर्ता ने इसे रद्द करने के लिए आपराधिक विविध याचिका सं. 1459/2005 दायर की | उन्होंने बिना किसी सबूत के यह बचाव प्रस्तुत किया कि उन्होंने पहले ही दिनांक 20.12.2000 को कंपनी से इस्तीफा दे दिया था और जिसे निदेशक मंडल ने 20.01.2001 को स्वीकार कर लिया था | इस्तीफे के निवेदन को देखने के बाद दिनांक 18.09.2007 को आवेदन केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि चेक अपीलकर्ता के हस्ताक्षर से जारी किए गए थे |

3. अपीलकर्ता ने इसके पश्चात धारा 482 के अंतर्गत वर्तमान कार्यवाही को प्रारम्भ करने वाला एक नया आवेदन प्रस्तुत किया | उच्च न्यायालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी फॉर्म 32 पर निर्भरता को देखते हुए, चेक जारी करने से पहले अपीलकर्ता द्वारा इस्तीफे के प्रमाण में, नोटिस जारी किया, जिससे बाद में बर्खास्तगी का प्रश्नगत आदेश जारी हो गया।

4. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मामले के असाधारण तथ्यों और परिस्थितियों में धारा 482, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दूसरे आवेदन की स्वीकार्यता पर कोई रोक नहीं थी,

Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, West

Bengal Vs. Mohan Singh and Ors., AIR 1975 SC 1002 मामले

को आधार बनाते हुए ।

5. प्रतिवादी सं. 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के मामले अतुल शुक्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य (आपराधिक अपील सं. 837/2019) के आदेश दिनांक 06.05.2019 पर भरोसा जताया है और तर्क दिया है कि ऐसा आवेदन स्वीकार्य नहीं है । चेकों के उत्तर-दिनांकित जारी होने के कारण, अपीलकर्ता अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता ।

6. हमने पक्षकारों की ओर से संबंधित निवेदनों पर विचार किया है और हमारी राय है कि इसके बाद वर्णित कारणों से अपील की अनुमति दी जानी चाहिए ।

7. प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा निदेशक के रूप में दिनांक 15.02.2001 तथा 28.02.2001 को चेक जारी किये गए थे । अपीलकर्ता ने सांविधिक सूचना के प्रति अपने जवाब दिनांक 31.08.2001 में दिनांक 20.01.2001 को अपना इस्तीफा दे देने के मद्देनज़र अपनी जवाबदेही से इंकार किया है । इस तथ्य का शिकायत में उल्लेख नहीं मिलता है । शिकायत में कोई ऐसा

आरोप नहीं है कि चेक उत्तर-दिनांकित थे | फिर भी, अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपने पहले के आवेदन में एक विशिष्ट आपत्ति उठाई की थी कि उन्होंने दिनांक 20.01.2001 को कंपनी से इस्तीफा दे दिया था जिसे स्वीकार कर लिया गया था। इससे पूर्व उच्च न्यायालय के आदेश के सार से यह प्रतीत नहीं होता है कि कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी फॉर्म 32 को इस्तीफे के समर्थन में अभिलिखित किया गया था। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के इस तर्क पर विचार किए बिना कि उन्होंने चेक जारी करने से पहले कंपनी के निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया था और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, अभिखंडित करने के आवेदन को खारिज कर दिया | उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत नए आवेदन में प्रारंभ में फॉर्म 32 प्रमाण पत्र देखने के बाद इस मामले में नोटिस जारी करने हेतु संतुष्ट था | स्वाभाविक रूप से पूर्व आवेदन और बाद के आवेदन में अंतर था क्योंकि इससे पूर्व वैधानिक फॉर्म 32 पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं हुआ था | इस्तीफे का तथ्य पक्षकारों के बीच विवाद में नहीं है | अतः बाद के आवेदन को, कड़े शब्दों में, उन्हीं समान तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित पुनरा-आवेदन नहीं कहा जा सकता है |

8. *मोहन सिंह* (Supra) मामले में, यह स्वीकार किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत एक अन्य अनुक्रमिक आवेदन परिवर्तित परिस्थितियों में स्वीकार्य था तथा पूर्व आवेदन का रद्द किया जाना इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, तथा यह विचार करते हुए:

“2. यहाँ परिस्थिति पूरी तरह भिन्न है । पिछला आवेदन जिसे उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 561-ए के अंतर्गत कार्यवाही को अभिखंडित करने का आवेदन था तथा उच्च न्यायालय ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अभी साक्ष्य होना बाकी था तथा उस स्तर पर कार्यवाही में दखल देना वांछनीय नहीं था । लेकिन, इसके पश्चात, आपराधिक मामला लगभग डेढ़ वर्ष की अवधि तक बिना किसी प्रगति के खिंचता रहा और ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी सं. 1 व 2 उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 561-ए के अंतर्गत कार्यवाही को अभिखंडित करने हेतु नया आवेदन करने के लिए बाध्य थे । ऐसा देखना कठिन है कि ऐसी परिस्थितियों में किस प्रकार से कभी भी ऐसा विरोध किया जाता कि उच्च न्यायालय से अनुक्रमिक आवेदन दाखिल करके क्या करने को कहा जा रहा था कि वह इससे पूर्व आवेदन पर उसके द्वारा पारित आदेश का पुनरावलोकन करे अथवा संशोधन करे । धारा 561-ए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को इस तरह के आदेश देने के लिए संरक्षित करता है जैसा कि वो न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने अथवा न्याय हेतु उपयुक्त समझे और इसलिए उच्च न्यायालय को स्थिति के संबंध में अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए खासतौर पर उस समय जब इसके अंतर्निहित क्षेत्राधिकार दिखाने की मांग की जाए । ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के बाद के आवेदन को सुनने का अधिकार था और यह विचार करने का भी कि

क्या तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्रतिवादियों के विरुद्ध कार्यवाही को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग था अथवा इसे रद्द करना न्याय के हित में जरूरी था । प्रतिवादी सं. 1 व 2 के बाद आवेदन के समय प्राप्त तथ्य व परिस्थितियाँ उनके प्रथम प्रतिवादी के पहले के आवेदन के समय से बिल्कुल भिन्न थीं क्योंकि प्रथम प्रतिवादी के पूर्व के आवेदन के रद्द होने के बावजूद, अभियोजन पक्ष आपराधिक मामले में किसी भी प्रकार की करने में विफल रहा है भले ही यह बहुत पहले 1965 में दाखिल किया गया था और मामला वहीं अटका रहा जहां वह डेढ़ वर्ष से पूर्व था.....

9. *हर्षेन्द्र कुमार डी. बनाम रेबातिलता कोले व अन्य*, 2011 CriL L.J.

1626, मामले में इस न्यायालय ने माना:

22. आपराधिक अभियोजन एक गंभीर मामला है; यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है । किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में घसीटने से ज्यादा उसकी इज्जत को और अधिक नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता । हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के कंपनी के निदेशक पद से त्याग पत्र देने से सम्बंधित निर्विवादीय दस्तावेज पर ध्यान न देकर गंभीर चूक की है । यदि उच्च न्यायालय द्वारा इन दस्तावेजों पर विचार किया गया होता तो यह स्पष्ट हो गया होता कि अपीलकर्ता ने कंपनी द्वारा चेक जारी होने से बहुत पहले ही त्याग पत्र दे दिया था । जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलकर्ता ने दिनांक 02.03.2004 को निदेशक के पद से त्याग पत्र दिया था । कंपनी द्वारा अस्वीकृत चेक दिनांक 30.04.2004 को जारी किये गए थे अर्थात् जब अपीलकर्ता को कंपनी के निदेशक के पद से त्याग पत्र दिए काफी समय हो चुका था । अपीलकर्ता के त्याग पत्र की स्वीकृति दिनांक 02.03.2004 के संकल्प में विधिवत परिलक्षित होती है । इसके बाद निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म नंबर 32) में कंपनी ने अपीलार्थी के त्याग पत्र के बारे में 04.03.2004 को कंपनी रजिस्ट्रार को

सूचित किया। शिकायतकर्ताओं का यह मामला भी नहीं है कि अस्वीकृत चेक अपीलकर्ता द्वारा जारी किए गए थे। इन तथ्यों से इस बात में कोई संदेह नहीं रहता है कि जिस तारीख को कंपनी द्वारा अपराध किया गया था, अपीलकर्ता निदेशक नहीं था; उनका कंपनी के मामलों से कोई लेना-देना नहीं था। मामले को ध्यान में रखते हुए यदि अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक शिकायतों पर कार्यवाही की जाती है तो यह अपीलार्थी के साथ घोर अन्याय होगा और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा।”

10. *अतुल शुक्ला* (supra) मामला अपने तथ्यों पर स्पष्ट रूप से अलग है क्योंकि इसमें मांगी गई राहत न्याय के हित में बर्खास्तगी के पूर्व के आदेश की समीक्षा/वापस बुलाने/संशोधित करने के लिए थी। नतीजतन, बर्खास्तगी के पूर्व के आदेश को वापस ले लिया गया। उस परिस्थिति में यह माना गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 को ध्यान में रखते हुए, अभिखंडित करने के आवेदन को खारिज करते हुए पारित पूर्व के आदेश को वापस नहीं लिया जा सकता था। मामला अपने तथ्यों पर पूरी तरह से अलग है।

11. जिस कंपनी में अपीलकर्ता निदेशक थे, शिकायत में वह पार्टी प्रतिवादी है। इसलिए शिकायतकर्ता के हितों की पर्याप्त सुरक्षा की जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता में, हम यह नहीं मान पा रहे हैं कि

शिकायत को अभिखंडित करने के लिए दूसरा आवेदन केवल पहले के आवेदन को खारिज होने के कारण स्वीकार्य नहीं था ।

12. उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है । अपील की अनुमति दी जाती है और अकेले अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही रद्द की जाती है ।

..... न्यायाधीश
(अशोक भूषण)

..... न्यायाधीश
(नवीन सिन्हा)

नई दिल्ली,
जुलाई 30, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।